

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 48/2025/EZ

AMIT KUMAR MIT

...Applicant

-Versus-

STATE OF JHARKHAND & ORS.

...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Counter Affidavit filed by District Magistrate, Godda, Jharkhand.	1 - 8
2.	Verification	9
3.	Annexure – 1	10 - 53

AISHWARYA RAJYASHREE

Advocate

Bar Association Room No. 5,

High Court, Calcutta


Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,

Kolkata: 700001.

Mobile: 9874995669

Email: advaish.hc@gmail.com





BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 48/2025/EZ

AMIT KUMAR MIT

...Applicant

-Versus-

STATE OF JHARKHAND & ORS.

...Respondents

COUNTER AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF DEPUTY MAGISTRATE, GODDA, JHARKHAND, (i.e. RESPONDENT NO. 12 HEREIN).

I, Sunny Kumar, son of Pramod Kumar Sahu, aged about 32 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of District Mining Officer, Godda, Jharkhand, having office at Lohia Nagar, Godda Pin- 814133, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

Sl. No. 423 Date 17/5/2025
Sri/Srmtt. Sunny Kumar
Who is identified by Sri D. S. Singh Advocate
Solemnly affirmed on Declared before me. Govt. of Jharkhand

That I am the District Mining Officer, Godda, Jharkhand, and I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions in the Original Application as such I am competent to make and affirm the instant Affidavit. Further, I have been duly authorized by the Respondent No. 12 herein to affirm the instant Counter Affidavit.

That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.



X

3. That in pursuance and in compliance to the order dated 02.04.2025 of the Hon'ble Tribunal in the instant Original Application this Counter Affidavit is being filed by District Magistrate, Godda, Jharkhand, Respondent No. 12 herein.


4. That this affidavit is being filed for bringing necessary facts and statements on record for just and proper adjudication of this case.

5. That in compliance to the said order dated 02.04.2025 passed by the Hon'ble Tribunal, the inspecting committee comprising of the following members visited and inspected the site on 08.05.2025:

- i. Additional Collector, Godda representative of District Magistrate, Godda, Jharkhand,
- ii. Regional Officer, JSPCB, Dumka, representative of Member Secretary, JSPCB, Jharkhand.

6. That the said inspection committee members carried out the inspection of the site and on basis of the complaint made by the applicant, the committee came up to the following facts/observation were found:

" That the fact-finding committee visited the complained area/plot with the concerned circle officer (mahagama) along with ameen and revenue inspector of mahagama circle. That the fact-finding committee during inspection found that no trees were being destroyed or lying destroyed. That during inspection fact finding committee also interacted with local villagers. Local villagers informed that in dag no 286 of village narottampur no destruction of trees has been carried out during laying foundation for the police station building. That during inspection of the site fact finding




✕

committee found that for laying foundation of police station building soil has been removed and as per NOC memo no 485 dated 13.07.2024 (annexure P-1 of complain application) of deputy commissioner godda nature of land is mentioned as 'parti kadim' which itself clarifies that the complained plot is not situated in river bed.


That with regard to the allegations of illegal extraction/mining of sand are being carried out at 4 spot of Sunder River and Geruwa River, fact finding committee visited each site and observations of fact-finding committee are as follows: -

Sl. No.	Site	Observation/Findings
a.	Sangrampur (beneath sangrampur bridge)	Upon inspection by fact finding committee of the said area no illegal sand mining activity and no sand stock was observed found. During the site inspection, it was also observed that river was filled with water and at the center of the bridge, foundations were submerged under water. That during the inspection written statement of local villagers present at the spot were taken, villagers have also certified that no illegal mining is being undertaken in this spot. (written statement and photograph are annexed as Annexure C Series as above)



X

b.	Narottampur Ghat (beneath the bridge)	That the fact-finding committee visited the complained area/site with the circle officer (mahagama) along with ameen and revenue inspector of mahagama circle. That during inspection Circle Officer, Mahagama stated the fact that this bridge divide Jharkhand state with Bihar state and half of the river channel lies in Bihar State. And further no illegal sand mining activity and no sand stock was observed/found by fact finding committee in Jharkhand area river bed. That during the inspection written statement of local villagers present at the spot were taken, villagers have also certified that no illegal mining is being undertaken in this spot. (written statement and photograph are annexed as Annexure D Series)
c.	Khurddumariya and Kaladumariya (beneath	That the fact-finding committee visited the complained area/site with the circle officer (mahagama) along with



X

	Khurddumariya bridge)	ameen and revenue inspector of mahagama circle. That during
d.	Vishwaskhani Ghat (beneath the Gorgama bridge)	inspection Circle Officer, Mahagama stated the fact that these bridges divide Jharkhand state with Bihar state and half of the river channel lies in Bihar State. And further no illegal sand mining activity and no sand stock was observed/found by fact finding committee in Jharkhand area river bed. During the site inspection, it was observed that soil adjacent to the bridge foundation had been washed out/eroded. Written statement of local villagers present at the spot were taken, villagers have also certified that no illegal mining is being undertaken in this spot. (written statement and photograph is annexed as Annexure E and F Series)

That during the inspection No JCB or excavation machine/HEMM or their evidences were found engaged in illegal mining in the river side or at bank.

Moreover, the petitioner/complainant in his complain application in paragraph 11 while annexing SEIAA Jharkhand memo no. 273 dated 13.09.2024 has alleged that no action has been taken till date, while it was



✕

found that Circle Officer, Mahagama vide his office letter no 471 dated 08.04.2024 has communicated to Deputy commissioner, Godda that agency involved in construction of police station building has not cut/destroyed tree/trees in the alleged plot 286 of narottampur village and also stated that local villagers has in previous submitted written application in favour of construction of police station building. (Xerox copy of Circle officer, Mahagama letter no 471 dated 08.04.2024 along with annexures is enclosed as Annexure G series).

That Circle officer, Mahagama present during the inspection of the site stated the fact:-

i. That land situated in village narottampur thana no. 467 plot no. 286 admeasuring 02-06-08 dhur belongs to gair majurwa khata no. 37 and type of land is parti kadim, which was earlier encroached by some people among them one was Shri Vindeshwari Mandal father of Amit Kumar Mit (petitioner). Encroachment upon that land/plot was removed by initiating encroachment proceeding no. 04/2022-23 by local administration. The said land after it being encroachment free was allotted by Deputy Commissioner, Godda vide NOC memo no. 285 dated 13.07.2024 upon recommendation by Circle Officer, Mahagama for construction of police station building.

ii. That the petitioner in his complain application page 1 has mentioned his father name as 'Sri Bindeshwari Prasad Singh' and it was found that earlier petitioner himself has approached Hon'ble High Court of Jharkhand through writ petition (c) no. 1327/23 for quashing of encroachment proceeding notice sent by Sub-Divisional Officer, Mahagama to the



X

petitioner and petitioner in his writ application had enclosed annexure 2, which mentioned his father's name as 'Vindeshwari Mandal'. Intentionally Stating father name wrong in two documents clearly shows malafide intentions of the petitioner.

iii. Since petitioner's father encroachment upon the said land was removed, petitioner being upset has falsely thought and filed this complain application for fulfilment of his malafide intentions.

Above stated facts were also submitted by circle officer, mahagama vide his office letter no. 586 dated 08.05.2025 to Additional Collector, Godda who is one of the fact finding committee member. (Xerox copy of Circle officer, Mahagama letter no. 586 dated 08.05.2025 along with annexures is enclosed as Annexure H series and Xerox copy of Annexure 2 in matter of writ petition (c) no 1327/23 pending in Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi is enclosed as Annexure I series).

A photocopy of the said Complete Inspection Report of the Joint Committee dated 08.05.2025 is annexed herewith and marked as Annexure - 1.

7. That, this Counter Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordships, may kindly be pleased to accept the instant Counter Affidavit.

8. That the answering respondent seeks leave to file any further affidavits, if required, as per direction of the Hon'ble Tribunal.



✕

9. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 4 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 5 to 6 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.

✓



X

VERIFICATION

I, , Sunny Kumar, son of Pramod Kumar Sahu, aged about 32 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of District Mining Officer, Godda, Jharkhand, having office at Lohia Nagar, Godda Pin - 814133, Jharkhand is filing this Counter Affidavit.

Date: 17/05/2025

Place: Godda

✓

Attested
17/05/25



Deponent

Identified by me

K No 101
Bansha Ghosh
Advocate
Godda
Jharkhand
17/05/2025

DMO to file ok

②
15/07/25


Inspection report by the 'Fact Finding Committee' in the light of order dated 02.04.2025 passed by Hon'ble National Green Tribunal Eastern Zone Bench, Kolkata in the matter of Original Application No 48/2025/EZ Amit Kumar Mit Versus State of Jharkhand and others.

That in light of point no 13(ii) of order dated 02.04.2025 passed by Hon'ble NGT Original Application No 48/2025/EZ Amit Kumar Mit Versus State of Jharkhand and others, Deputy Commissioner, Godda vide order cum memo number 252 dated 26.04.2025 authorised Additional Collector, Godda as his representative in the 'Fact Finding Committee' constituted by the Hon'ble NGT, Eastern Bench. (Xerox copy of Deputy Commissioner, Godda order cum memo number 252 dated 26.04.2025 annexed as **Annexure A**)

In light of order dated 02.04.2025 Member Secretary, JSPCB has directed Sri Amul Kumar Soren, Regional Officer JSPCB, Dumka to be representative of JSPCB in the 'Fact Finding Committee' vide letter no 1153 dated 25.04.2025 constituted by the Hon'ble NGT, Eastern Bench. (Xerox copy of letter no 1153 dated 25.04.2025 of Member Secretary, JSPCB Ranchi is annexed as **Annexure B**)

That the above 'Fact Finding Committee' visited the complained sites on dated 08.05.2025 and during the inspection following facts/observations were found-

1. That the petitioner in his application has stated that "*a landed property dag no 286, village Narottampur, mouza 467, Sangrampur Ghat, Block Mahagama, Godda has been earmarked for construction of a Police Station building. Said land is Gair Mazurwa-Aam land and there are huge trees/plants over the said land. Work for construction of the said police station has started under the instruction of respondent no 10 and 11 on 29.07.2024. During the said construction work several trees (Big/small) have been destroyed without any valid permission/clearance from the forest department in connivance of the other district level. They are not only destroying the trees but are illegally extracting sands from the Sunder River. Said extraction of sand is without any permission and clearance hence illegal. The said construction is being carrying out only at the distance of around 50 meters from the river in fact the construction is being carried out on the river bed...*" That the fact-finding committee visited the complained area/plot with the concerned circle officer (mahagama) along with ameen and revenue inspector of mahagama circle. That the fact-finding committee during inspection found that **no trees were being destroyed or lying destroyed**. That during inspection fact finding committee also interacted with local villagers. Local villagers informed that in dag no 286 of village narottampur **no destruction of trees has been carried out** during laying foundation for the police station building. That during inspection of the site fact finding committee found **that for laying foundation of police station building soil has been removed** and as per NOC memo no 485 dated 13.07.2024 (annexure P-1 of complain application) of deputy commissioner godda nature of land is mentioned as 'parti kadim' which itself clarifies that the complained plot is not situated in river bed. (written statement and photograph is annexed as **Annexure C Series**)
2. That the petitioner in his application has also stated that illegal extraction/mining of sand are being carried out at 4 spot of Sunder River and Geruwa River, fact finding committee visited each site and observations of fact-finding committee are as follows: -



Sl. No.	Site	Observation/Findings
a	Sangrampur (beneath sangrampur bridge)	Upon inspection by fact finding committee of the said area no illegal sand mining activity and no sand stock was observed/found. During the site inspection, it was also observed that river was filled with water and at the center of the bridge, foundations were submerged under water. That during the inspection written statement of local villagers present at the spot were taken, villagers have also certified that no illegal mining is being undertaken in this spot. (written statement and photograph are annexed as Annexure C Series as above)
b	Narottampur Ghat (beneath the bridge)	That the fact-finding committee visited the complained area/site with the circle officer (mahagama) along with ameen and revenue inspector of mahagama circle. That during inspection Circle Officer, Mahagama stated the fact that this bridge divide Jharkhand state with Bihar state and half of the river channel lies in Bihar State. And further no illegal sand mining activity and no sand stock was observed/found by fact finding committee in Jharkhand area river bed. That during the inspection written statement of local villagers present at the spot were taken, villagers have also certified that no illegal mining is being undertaken in this spot. (written statement and photograph are annexed as Annexure D Series)
c	Khurddumariya and Kaladumariya (beneath Khurddumariya bridge)	That the fact-finding committee visited the complained area/site with the circle officer (mahagama) along with ameen and revenue inspector of mahagama circle. That during inspection Circle Officer, Mahagama stated the fact that these bridges divide Jharkhand state with Bihar state and half of the river channel lies in Bihar State. And further no illegal sand mining activity and no sand stock was observed/found by fact finding committee in Jharkhand area river bed. During the site inspection, it was observed that soil adjacent to the bridge foundation had been washed out/eroded. Written statement of local villagers present at the spot were taken, villagers have also certified that no illegal mining is being undertaken in this spot. (written statement and photograph is annexed as Annexure E and F Series)
d	Vishwaskhani Ghat (beneath the Gorgama bridge)	



3. That during the inspection No JCB or excavation machine/HEMM or their evidences were found engaged in illegal mining in the river side or at bank.

4. That the petitioner/complainant in his complain application in paragraph 11 while annexing SEIAA Jharkhand memo no 273 dated 13.09.2024 has alleged that no action has been taken till date, while it was found that Circle Officer, Mahagama vide his office letter no 471 dated 08.04.2024 has communicated to Deputy commissioner , Godda that agency involved in construction of police station building has not cut/destroyed tree/trees in the alleged plot 286 of narottampur village and also stated that local villagers has in previous submitted written application in favour of construction of police station building. (Xerox copy of Circle officer, Mahagama letter no 471 dated 08.04.2024 along with annexures is enclosed as **Annexure G series**).
5. That Circle officer, Mahagama present during the inspection of the site stated the fact
- That land situated in village narottampur thana no 467 plot no 286 admeasuring 02-06-08 dhur belongs to *gair majurwa* khata no 37 and type of land is *parti kadim*, which was earlier encroached by some people among them one was Shri Vindeshwari Mandal father of Amit Kumar Mit (petitioner). Encroachment upon that land/plot was removed by initiating encroachment proceeding no 04/2022-23 by local administration. The said land after it being encroachment free was allotted by Deputy Commissioner, Godda vide NOC memo no 285 dated 13.07.2024 upon recommendation by Circle Officer, Mahagama for construction of police station building.
 - That the petitioner in his complain application page 1 has mentioned his father name as 'Sri Bindeshwari Prasad Singh' and it was found that earlier petitioner himself has approached Hon'ble High Court of Jharkhand through writ petition (c) no 1327/23 for quashing of encroachment proceeding notice sent by Sub-Divisional Officer, Mahagama to the petitioner and petitioner in his writ application had enclosed annexure 2, which mentioned his father's name as 'Vindeshwari Mandal'. Intentionally Stating father name wrong in two documents clearly shows malafide intentions of the petitioner.
 - Since petitioner's father encroachment upon the said land was removed, petitioner being upset has falsely thought and filed this complain application for fulfilment of his malafide intentions.
6. Above stated facts were also submitted by circle officer, mahagama vide his office letter no 586 dated 08.05.2025 to Additional Collector, Godda who is one of the fact finding committee member. (Xerox copy of Circle officer, Mahagama letter no 586 dated 08.05.2025 along with annexures is enclosed as **Annexure H series** and Xerox copy of annexure 2 in matter of writ petition (c) no 1327/23 pending in Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi is enclosed as **Annexure I series**).



Regional Officer,
JSPCB, Dumka



Additional Collector,
Godda



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, गोड्डा।

(खनन शाखा)

-: आदेश :-


02.05.25
श्री अमित कुमार मित द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, कोलकाता में दाखिल
Original Application No. 48/2025/EZ Amit Kumar Mit Vrs The State of Jharkhand & Ors. में माननीय
न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2024 को पारित आदेश में बिन्दु 13 से 15 निम्न प्रकार है-

- "13. Considering the allegations made, we deem it appropriate to constitute a Fact Finding Committee comprising of the following members:-
- Senior Scientist, Jharkhand State Pollution Control Board; and
 - District magistrate, District - Godda, or his representative not below the rank of Additional District Magistrate (ADM)
14. The Committee shall visit the site in question and thereafter submit a Fact Finding Report on affidavit within three weeks with regard to the allegations made in the Original Application.
15. The District Magistrate, District - Godda shall be the Nodal office for all logistic purposes and for filing the Fact finding Report on affidavit."

उक्त आदेश के कंडिका- '13(ii)' के तहत अपर समाहर्ता, गोड्डा को Fact Finding Committee के दूसरे सदस्य के रूप में नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के कंडिका- 13 एवं 14 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त
गोड्डा

ज्ञापक : 252/एम., दिनांक : 26 अप्रैल, 2025
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि Fact Finding Committee के सदस्यों को जाँच में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
प्रतिलिपि : सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त
गोड्डा





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004

Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

By Email Hon'ble NGT Matter

Time Bound (Urgent)

Date.....

Ref. No.....

From,

Manoj Kumar Gupta,
Officer on Special Duty.

To,

The District Magistrate,
Godda.

Sub: - Compliance of the directions issued by the Hon'ble NGT, EZ Bench, Kolkata in its order dated 02/04/2025 in O.A No. 48/2025/EZ in the matter of Amit Kumar Mit Versus State of Jharkhand & Ors. - Regarding.

Sir,

In connection with the subject mentioned aforesaid, I am directed to inform that the Hon'ble NGT, EZ Bench, Kolkata in its order dated 02/04/2025 in O. A. No.48/2025/EZ in the matter of **Amit Kumar Mit Versus State of Jharkhand & Ors.**, was pleased to pass certain directions (Copy enclosed). The relevant part of the said order is as follows: -

"2. The Applicant has filed this application seeking a direction to the respondents not to allow anyone to extract sand from the Sunder River and Geruwa River.

3. The Applicant is stated to be a resident of village Narottampur which is stated to be situated at Mahgama Block of Godda District; it is stated that there are several villages lying between Sunder River and Geruwa River including Narottampur and these villages are surrounded by the two rivers and there are four bridges allowing the villagers to cross the rivers; these bridges are stated to be in a dilapidated condition which may collapse any day.

4. It is stated that the land property Dag No.286, Village Narottampur, Mauza 467, Sangrampur Ghatt, Block Mahgama, Godda has been earmarked by the respondent authority for construction of a Police Station building.

5. It is stated that the land is Gair Mazurwa-Aam land on which several huge trees and plants are standing and it is alleged that during the construction of the Police Station several trees big and small have been cut down and destroyed.

13. Considering the allegations made, we deem it appropriate to constitute a **Fact Finding Committee** comprising of the following Members:- i. Senior Scientist, Jharkhand State Pollution Control Board; and ii. District Magistrate, District - Godda, or his representative not below the rank of Additional District Magistrate (ADM)

14. The Committee shall visit the site in question and thereafter submit a **Fact Finding Report** on affidavit within three weeks with regard to the allegations made in the Original Application.

15. The District Magistrate, District - Godda shall be the Nodal office for all logistic purposes and for filing the Fact finding Report on affidavit.



18. List on 20.05.2025. "

In view of the above , Sri Amul Kumar Soren, Regional Officer, JSPCB Regional Office – Cum –Laboratory, Dumka (ContactNo.–(7004850839) is nominated as the Member of the Committee on behalf of the JSPCB to look into the matter. This is for information and further necessary action please.

Encl: As above.

Yours Sincerely

Sd/-
(Manoj Kumar Gupta)
Officer on Special Duty

Memo No...1153

Ranchi, dated...25/04/2025

Copy to: Sri Amul Kumar Soren, Regional Officer, JSPCB Regional Office – Cum – Laboratory, Dumka ,for information & necessary action from your end. It is, further requested to ensure submission of the report to the JSPCB, headquarters in line with the directions of the Hon'ble Tribunal in time.

Manoj Kumar Gupta
25/04/2025
(Manoj Kumar Gupta)
Officer on Special Duty



ग्रामीणी के साथ - नवनिर्मित पात्र स्वयं
नरोत्रमूल का निर्माण किया गया जिससे
निर्माकित ग्रामीणी उपलब्ध थी.

- ① श्री आशा देवी, पति - महेन्द्र मंडल
ग्राम - खंभामूल नरोत्रमूल
- ② श्री हिरय कुमार सिंह - पिता - स्व. महेश्वर
प्रवीण
ग्राम - काला दुमरीना
- ③ विकास कुमार सिंह - पिता - महेन्द्र मंडल
ग्राम - नरोत्रमूल
- ④ मिस्त्री मंडल - पिता - स्व. सुरेश मंडल
अपरोक्ष ग्रामीणी एवं अन्य प्र उपलब्ध
मे उपलब्ध भाग स्वयं का निर्माण
किन्तु राजा/ग्रामीणी द्वारा बनाया गया
निर्माकित स्वयं का निर्माण
(नव) निर्माण का कार्य नहीं हुआ है

- ① विकास कुमार सिंह
 - ② मिस्त्री मंडल
 - ③
 - ④ हिरय कुमार सिंह
- अक्षय कुमार



3

संग्रामपूर घाट

1) श्रीराम विलास मंडल - पिला - स्व. गंगा मंडल
 शान - नरसिंहपुर, पं - विश्वालखानी
 पौ - विश्वालखानी, भागा - हनुवाप
 जिला - गौडगा

2) श्री महेंद्र मंडल, पिला - स्व. केशरम मंडल
 शान - नरसिंहपुर, पं - विश्वालखानी
 पौ - विश्वालखानी, भागा - हनुवाप

3) श्री सुमित्रा देवी पति - श्री विलास मंडल
 शान - नरसिंहपुर, पं - विश्वालखानी

उपरोक्त तीनों प्राचीनों के सामने संग्रामपूर घाट (पूल के समीप) का निर्माण किया गया।
 ग्रामियों का एकदम है कि वर्तमान में किसी प्रकार से उस बाह से बाध का उद्धार नहीं किया जा रहा है।

4) महेंद्र मंडल

5)



श्री विलास मंडल



उज्ज्वल यादव
 पं पिला सरगुन यादव


6)



श्री सुमित्रा देवी
 पति विलास मंडल

7)





OFFICE OF THE NOTARY
 L No 101
 Barsha Ghosh
 Godda
 Jharkhand
 GODDA JHARKHAND





May 8, 2025 at 1:38:46 PM
+25.048113,+87.188135
Narattampur Sagrampur Road
Godda 814155
Jharkhand
India

OFFICE OF THE NOTARY
L No 101
Barsha Ghosh
G.S.
Jharkhand
GODDA JHARKHAND






Godda, Jharkhand, India
 Narattampur Sagrampur Road, Mahagama,
 Godda, Jharkhand 814155, India
 Lat 25°2'55.4943"N, Long 87°11'16.0354"E
 05/08/2025 02:08 PM
 46.9 m  -1.0 m

OFFICE OF THE NOTARY
 L No 101
 Barsha Mohan
 Godda
 Jharkhand
 GODDA JHARKHAND


आज दिनांक- 08/05/2025 को समिति के सदस्यों के द्वारा नौतग पूर-के औरवक नदी घाट का निरीक्षण किया गया कि औरवक नदी घाट के नदी का आधा भाग शास्वत वन परिसर में बरफ आया

सभी विद्या (महालय) में पढ़ने के निरीक्षण के समय निम्नलिखित शर्तों पर उपस्थित थे।

- ① ब्रह्मदेव कुमार - पिता - रामस्वल्प भंडाल एवं अन्य शर्तों से समझा जांच किया गया। अत्र लाल पर किसी भी तरह का बालु अथवा गंदारा नहीं पाया गया।


उपरोक्त शर्तों का हस्ताक्षर/दीप शिखर निम्नलिखित है।

- ① ब्रह्मदेव कुमार
- ② रामदेव कंठ
- ③ मु. निलाल सिंह
- ④ श्यामा देवी
- किरण देवी



L.T.I. गुलशन कुमार





Godda, Jharkhand, India
 Narattampur Sagrampur Road, Mahagama,
 Godda, Jharkhand 814155, India
 Lat 25°3'6.0001"N, Long 87°10'24.8110"E
 05/08/2025 02:32 PM
 48.27 m -1.0 m

OFFICE OF THE NOTARY
 L No. 101
 Barshi, Jharkhand
 GODDA, JHARKHAND




आज दिनांक - 08/05/2025 को समिति के सदस्यों द्वारा कावा दुनिया - के बजैलवा नदी घाट का निरीक्षण किया गया। गैलवा नदी घाट का पूर्व तरफ - आधा गांव - आखरण घणा पश्चिम तरफ - भागलपुर (विहाण में पड़ता है) निरीक्षण के दौरान निर्माकत गंगा उजाड़ की तला ग्राणी के लक्ष जोन किया गया। जोन के दौरान उक्त क्षेत्र में किसी भी तरह का कालू का उदाल/मंशण नहीं किया गया।

(1) - अमित कुमार सिंह

(2) - दिनेश कुमार



(3) - Guddu Kumar Soni





OFFICE OF NOTARY
 L No 191
 Barsha Ghosh
 Godda
 Jharkhand
 GODDA JHARKHAND







आज दिनांक - 08/05/2025 को समिति के सदस्यों द्वारा गौरगाव (पुर्व) गैलवा नदी घाट का निरीक्षण किया गया। गैलवा नदी का बायूरी तरफ का दक्षिण भाग - शारखण तथा पश्चिम भाग - विद्या (बाँहा) में पड़ता है। इसीलिए गैलवा नदी का दक्षिण भाग गैलवा नदी का दक्षिण भाग है। उक्त स्थल पर किसी भी तरह का बायूरी ड्रव करने हुए गैलवा नदी पर काम नहीं किया गया।

①  कुलदीप मंगल
L.T.I-

② सुभाषभाई







अंचल कार्यालय, महागामा

पत्रांक.....५३१...../रा०,

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
महागामा।

सेवा में,

उपायुक्त,
गोड्डा।

महागामा/दिनांक...०४-०५-२०२५

विषय:-दिनांक-29.07.2024 को अंचल अधिकारी महागामा व अन्य लोक सेवकों द्वारा मौजा(467) नरोत्तमपुर में दाग नं०-286 भूमि को छतिग्रस्त कर के अवैध खनन व अवैध तरीके से पेड़ों को काटने के संबंध में शिकायत।

प्रसंग:- सदस्य सचिव SEIAA झारखंड राँची का ज्ञापांक-273, दिनांक-13.09.2024 महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक एवं प्राप्त पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नरोत्तमपुर थाना सं०-467 के अन्तर्गत गैरमजरूआ खाता सं०-37 दाग सं०-286 रकवा -02-06-08 धुर किस्म परती कदीम भूमि थाना भवन हनवारा के निर्माण हेतु अभिलेख स्वीकृत है तथा भवदीय के ज्ञापांक-485/रा० दिनांक-13.07.2024 द्वारा वर्णित भूमि पर थाना भवन एवं अवास निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। प्रस्तावित भूमि थाना प्रभारी हनवारा की उपस्थिति में अंचल अमीन के द्वारा सीमांकन तथा चिन्हित किया गया। चिन्हित के उपरांत थाना भवन एवं अवास निर्माण हेतु पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चयनित एजेंसी द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य किया गया था।

स्थानीय जाँच में पाया गया की कार्य एजेंसी द्वारा अवैध रूप से पेड़/वृक्ष को क्षति नहीं पहुँचाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा वर्णित स्थल पर पूर्व में हनवारा थाना भवन एवं अवास निर्माण के संबंध में हस्ताक्षरयुक्त सहमति दिया गया है, छाया प्रति सलंगन। सारे तथ्यों के अवलोकण से पाया गया कि आवेदक अमित कुमार मित, पिता- श्री बिदेश्वरी प्रसाद ग्राम- नरोत्तमपुर द्वारा लगाया आरोप तथ्यविहित एवं बेबुनियाद है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

संलग्न:-यथोक्त।

विश्वासभान

[Signature]
०४.०५.२०२५
अंचल अधिकारी
महागामा।

ज्ञापांक.....५३१...../रा० दिनांक...०४-०५-२०२५

प्रतिलिपि:- जिला खनन पदाधिकारी को सूचनार्थ पेभित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को सूचनार्थ समर्पित।



[Signature]
०४.०५.२०२५
अंचल अधिकारी
महागामा।

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी
महागामा।

विषय:-आवेदक अमित कुमार मित, ग्राम-नरोत्तमपुर के द्वारा समर्पित आवेदन की जाँच के संबंध में। जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंग:- अनुमंडल कार्यालय महागामा का पत्रांक-1914/सा0, दिनांक-18.09.2024
महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र एवं आवेदन में विर्णित बिन्दु के संबंध में कहना है कि मौजा नरोत्तमपुर थाना सं0-467 के अन्तर्गत गैरमुअवजा खाता सं0-37 दाग सं0-286 रकवा -02-06-08 धुर किस्म परती कदीम भूमि थाना भवन हनवारा के निर्माण हेतु अभिलेख स्वीकृत है तथा उपायुक्त गोड्डा के ज्ञापांक-485/रा0 दिनांक-13.07.2024 द्वारा वर्णित भूमि पर थाना भवन एवं अवास निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। प्रस्तावित भूमि का चिन्हीत करने के लिए अंचल अमिन एवं थाना प्रभारी हनवारा के साथ दिनांक-02.07.2024 को गया था चिन्हीत करने के पश्चात थाना भवन एवं अवास निर्माण हेतु पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा चयनित एजेंसी के द्वारा स्थल पर भवन का नीव निर्माण हेतु गड्ढा किया जा रहा था।

स्थानीय जाँच में पाया गया की कार्य एजेंसी द्वारा अवैध रूप से पेड़/वृक्ष को क्षति नहीं पहुँचाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा वर्णित स्थल पर पूर्व में हनवारा थाना भवन एवं अवास निर्माण के संबंध में हस्ताक्षरयुक्त सहमति दिया गया है, छाया प्रति सलंगन। सारे तथ्यों के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक अमित कुमार मित, पिता- श्री बिदेश्वरी प्रसाद ग्राम- नरोत्तमपुर द्वारा लगाया आरोप तथ्यविहित एवं बेबुनियाद है।

प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

सलंगन:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

08.04.25
12.5.24
हस्ताक्षर-04

1.4.25
L



(99)

27-12-24
रुपा म.

25.12.2024

उपायुक्त महोदय
गोडा

विषय - इनवारा थाना भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बाद भी कार्य नहीं करने के संबंध में,

प्रसंग - अवदीय का पत्रांक 485 दिनांक 13-07-2024.

प्रस्ताव

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सादर सूचित करना है, कि पंचायत विश्वालयानी, ग्राम - नरोत्तमपुर (467) खाला नं-37, खेसरा 286, खेवा 145 एंड भूमि चिह्नित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया इसके बाद संघटक द्वारा उक्त जमीन पर कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें (Fingerprint) नींव का कार्य पूर्ण कर दिनांक 21-12-2024 से कार्य बंद कर दिया गया है, शौसल प्रीटिया द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि थाना भवन निर्माण के लिये कोई अन्य जगह चिह्नित किया जा रहा है,

अतः श्री मान से विनम्र प्रार्थना है कि थाना भवन का निर्माण वर्तमान चिह्नित जमीन ग्राम नरोत्तमपुर में ही अविलम्ब कार्य शुरू कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :-

- 1. अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज।
- 2. अंचल अधिकारी, महाराजगंज।

आपका विश्वासी

समस्त क्षेत्रवासी

- (1) राजेंद्र प्रसाद साह (निश्वालयानी) 9973330173
- (2) Ravarubi Narottampur 9523525375



1. पञ्जाब राज्य 6106/33/28
 कपेश कुमार दास - नरोत्तमपुर 8002809278
 गोपाल राय संग्रामपुर 80009 9523175239
 2) हरिश्चंद्र कुमार मगर - विश्वासखानी - 9872387492

3) लैलानंद राम - संग्रामपुर 9931584858

4) विनय कुमार सिंह - नरोत्तमपुर - 8521217257
 रोहित पालवान - पड़रिया

5) अनुपलाल सिंह - विश्वासखानी 993484534

6) लौक नारायण राम संग्रामपुर 974038 4833
 दिनेश लाली विश्वासखानी 9572248485

7) विश्व हाऊस विश्वासखानी 8298701569
 8) सादगर साह नरोत्तमपुर

9) विनय भादव संग्रामपुर 7031707227
 विक्रम मंडल नरोत्तमपुर

10) मनोहर प्रसन्न सिंह नरोत्तमपुर 9661095191
 भागीचांद संग्रामपुर 9479592067

11) राजेश कुमार सिंह - नरोत्तमपुर - 6202571863
 ज्योति लाल सिंह केकिलि - नरोत्तमपुर 9162259203
 दीपक सिंह - विश्वासखानी - 9608724898

मंगल कुमार - सुई इमरिया - 8157641977
 शैलेंद्र मंडल - नरोत्तमपुर

मिर्ची माल सिंह
 शोभा लाल पड़रिया 6204518089

2. भात गाँव संग्रामपुर
 पुरुषोत्तम सिंह - 9546348986


3. अनुपलाल सिंह पड़रिया 9311762110



- 30 मनोज कुमार - पुष्प कुमारिया - 8757641977
- 31 सदाशिव शिंदे - नरेशगुड्डर
- 32 रामचंद्रलाल शर्मा - विवेकानंद शर्मा
- 33 सुभाष डाक्टर (विश्विनी) " "
- 34 अशोक शर्मा " "
- 35 सुबोधिका शर्मा
- 36 गोविंद चाकूर
- 37 सुभाष भादव
- 38 नरेशगुड्डर
- 39 अशोक कुमार
- 40 विवेका कुमारी
- 41 सुभाष कुमार सिद्ध
- 42 गीतम कुमार -
- 43 निरंजना कुमारी -
- 44 विरेन्द्र सिद्ध -
- 45 अजय शर्मा -
- 46 बालोरी शर्मा
- 47 संतोष कुमार
- 48 अजय शर्मा सिद्ध
- 49 शिवनम देवी
- 50 योगेश शर्मा
- 51 शंकर शर्मा
- 52 लक्ष्मी शर्मा
- 53 सुभाष शर्मा

8114553514
9199003325

6205171571
6287089415



Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

54 श्री नौशाद अली पंचायत साहित्य विभाग मुंबई
 55 शिव कुमार सिंह संभापुर 9123287624

56 शिवानंद
 57 श्रीमती लाल सिंह
 58 सुरेश मंडल
 59 योगेश कुमार
 60 कांजल सिंह
 61 अभिमन्यु कुमार
 62 खनिश कुमार
 63 मरिजा कुमारी
 64 प्रमिला देवी
 65

निरंजन कु. सिंह
 अर्चना देवी
 बेबी देवी

69 देवी देवी
 70 मताली मंडल
 71 भासो देवी
 72 इंदर कुमार
 73 जितुल कुमार
 74 रोहीत बंडल
 75 अश्वि कालिका बंडल
 76 सुनील सिंह
 अमित कुमार



काविका देवी
शुद्ध शीलिका

85

~~काविका देवी~~ 110 श्री प्रसाद सिंह

100

उमरकमाल सिंह

99

श्री प्रसाद सिंह

101

श्री प्रसाद सिंह

902

मोहन लाल सिंह

103

श्री प्रसाद सिंह

104

श्री प्रसाद सिंह

105

श्री प्रसाद सिंह

106

श्री प्रसाद सिंह

107

श्री प्रसाद सिंह

108

श्री प्रसाद सिंह

109

श्री प्रसाद सिंह

110

श्री प्रसाद सिंह

111

श्री प्रसाद सिंह

112

श्री प्रसाद सिंह

113



श्री प्रसाद सिंह

114

श्री प्रसाद सिंह

115

श्री प्रसाद सिंह

116

श्री प्रसाद सिंह



Babita Kumari

Abhay Kumar

सिद्धांत सिंह

120 धनीता देवी

121 राधा देवी

122 Sweta Kumari

123 Ankit Kumar

124 राणी देवी

125 सरिता देवी

126 Mukesh Kumar Singh

127 अनुराग सिंह

128 विनय सिंह

129 कुलकुल सिंह

130 अरुण कुमार

131 Anshu Kumar

132 Manoj Kumar

133 Subhash P. Singh

134 निरजन कुमार सिंह

135 शिव नंदन कुमार

136 अजय कुमार सिंह

137 कुमिका कुमारी

138 तुकतु लाल

139 सुबोध कुमार सिंह

140 कल्पना देवी

141 अमित कुमार सिंह



15/07/2020
रंजीत भादव

तिनी (महामन यादव)

सोबिता देवी

Mishra Jay Jeevan

[Signature] तिनी शलैचना देवी

Bhains Yadav

[Signature] तिनी निशा यादवी

आरखवशा कुमाल

[Signature] तिनी गौरी देवी

काजल कुमारे

गोनी कुमारी

[Signature] तिनी मंजू देवी

कुन्नाशुदेव

विनाक यापय

[Signature] तिनी संकल यादव

[Signature] तिनी मंजू देवी

अपनी कु देवी
पार्वती देवी
शीला देवी




(1) वि. वि. संख्या १००/१९९९

(2) वि. वि. संख्या १००/१९९९

(3) वि. वि. संख्या १००/१९९९
संख्या १००/१९९९

श्री. वि. वि. संख्या १००/१९९९





पमक राम

Bittu Kumar Ram

श्री ज्योतिराम राम

नारद साहू

रामदेव राम

साहू

M.P.T.Y.B

श्रीनारायण चक्रवर्ती

श्री श्री साहू

गिरवारी राम

संजय

मानसुख

श्री श्री साहू

पुरुष साहू

शिवम कुमार राम



समाहरणालय, गोड्डा।
(जिला राजस्व शाखा)
negodda2010@gmail.com

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा द्वारा ज्ञापांक-1898/सा0शा0 दिनांक- 26.10.2022 से प्राप्त पत्र एवं अंचल अधिकारी महागामा के ज्ञापांक-859/रा0 दिनांक-03.07.2024 में की गई अनुशंसा के आलोक में हनुवारा थाना भवन एवं आवास निर्माण के लिए चर्णित भूमि की अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है, भूमि की विवरणी निम्नलिखित है:-

अंचल-महागामा

क्र0	पंचायत	ग्राम	थाना नं0	गैरमजरूआ खाता सं0	दाग नं0	खतियानी रकवा ब्ने0क0धूर	किस्म	प्रस्तावित रकवा बी0क0धूर
1	विश्वासखानी	नरोत्तमपुर	467	37	286	02-06-08	परती कदीम	02-06-08 धूर (1.45 एकड)


उपाधिकारी,
गोड्डा।

ज्ञापांक-485...../रा0, गोड्डा दिनांक- 13/07/2024


प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, महागामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपाधिकारी,
गोड्डा।



प्रेषक:

अंचल अधिकारी,
महागामा।

सेवा में

अपर सभाहर्ता,
गोड्डा।

महागामा, दिनांक...08.05.2025

विषय :-

अवैध बालू एवं पेड़काटने हेतु अमित कुमार मित के द्वारा दायर NGT Case के संबंध में।

नहाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मौजा-नरोत्तमपुर थाना नं0-467 अन्तर्गत गैरनजरूआ खाता सं0-37, दाग सं0-286 रकवा 02-06-08 धूर किरम परती कदीम जमीन पर कई व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें श्री कुमार मित के पिताजी श्री विन्देश्वरी मंडल शामिल थे। उक्त दाग पर किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमण वाद सं0-04/2022-23 संघारित कर अतिक्रमणकारियों से भूमि को मुक्त कराया गया था। उक्त वाद सं0 के क्रमांक 37 पर श्री विन्देश्वरी मंडल का नाम अंकित है। विमुक्त होने के पश्चात वर्णित भूमि पर हनवारा थाना एवं आवास हेतु प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्तावित भूमि पर उपायुक्त महोदय गोड्डा के ज्ञापांक-435/रा0, दिनांक-13.07.2024 द्वारा थाना भवन एवं आवास निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

अनापति प्राप्त होने के पश्चात पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चयनीत एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। निर्माण कार्य के दौरान एजेंसी द्वारा नींव की खुदाई का कार्य किया गया है। कार्य एजेंसी द्वारा अवैध खनन एवं अवैध रूप से पेंड को नहीं काटा गया है। श्री अमित कुमार मित द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य से क्षुब्ध होकर NGT Case दायर किया गया है जो वास्तविकता से परे है।

प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वसभाजन

अनुमोदन: वाद सं-04/2022-23
की व्याप्ति।

[Signature]
अंचल अधिकारी,
महागामा।

General Letter



28 |

196

अंचल कार्यालय, महागामा।

आदेश फलक

अतिक्रमण चाद संख्या एवं वर्ष - 04/2022-23

मौजा-नरोत्तमपुर, थाना-हनवारा, दाग नं०-67, 162, 286, 412 रकवा 02-00-19 घूर
किस्म-रास्ता, परती कदीम

क्रमांक एवं दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं इस्ताफर	की गयी कार्रवा
1	2	3

01-2023


अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक-2802/सा० दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से प्राप्त आवेदिका मौ० मीरा देवी पे०-स्व० गैनु साह, ग्राम-नरोत्तमपुर द्वारा मौजा-नरोत्तमपुर, थाना नं०-467, खाता सं०-37, दाग नं०-67, 162, 286, 412 को कदीम भूमि पर अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आवेदन सनर्पित किया गया है। आवेदन पत्र की जांच राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से कराया गया। जांच प्रतिवेदन संलग्न है। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-नरोत्तमपुर, थाना नं०-467, खाता सं०-37, दाग नं०-67 रकवा 02-00-19 घूर किस्म रास्ता, दाग सं०-162 रकवा 01-13-12 घूर किस्म परती कदीम, दाग सं०-412 रकवा 00-02-11 घूर किस्म रास्ता एवं दाग सं०-286 रकवा 02-06-08 घूर किस्म परती कदीम सर्वे खतियान में दर्ज है।

अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि पर निम्नांकित व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	नाम एवं पिता/पति का नाम	मौजा	गैरमजरूआ खाता सं०	दाग नं०	किस्म	रकवा (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1	अनंत कुमार अरुण पिता-श्रीकांत मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0550	खेत
2	दिनारायण सिंह पिता-स्व० राजेन्द्र सिंह	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0336	खेत
3	जोगेन्द्र मंडल यो रनेश मंडल पिता-फौजदारी मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.535	खेत
4	मनोहर मंडल पिता-स्व० राम नारायण मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0137	खेत
5	पुरुषोत्तम सिंह पिता-श्यामलाल सिंह	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0076	पक्का दियाल
6	नरेश मंडल पिता-स्व० गंगा मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0107	मिट्टी भर कर अतिक्रम किया है।
7	शियाराम मंडल पिता-स्व० हागरु मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0091	पक्का दियाल




8	संतलाल महालदार पिता-स्व० मुन्नी लाल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0068	पक्का दिवाल वाँस खुटा
9	गोपाल महालदार पिता-स्व० जगदीश महालदार	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0069	पक्का दिवाल
10	मनोहर प्रसाद सिंह पिता-तारणी मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0158	पक्का दिवाल, चदरा छावनी और मिट्टी दिवाल खपरैल छावनी
11	उपेन्द्र मेहता पिता-स्व० लखी मेहता	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0062	मिट्टी दिवाल, खपरैल छावनी
12	अरुण कुमार मंडल पिता-स्व० रामनारायण मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0128	पक्का दिवाल, अल्वेस्टर छावनी, पान दुकान
13	रंजीत मंडल उर्फ धनंजय मंडल पिता-स्व० हिरा मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0274	पक्का दिवाल, वाँस खुटा, फुत्त छावनी
14	सुनना देवी पति-जिष्ट मंडल	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0299	पक्का दिवाल, चदरा छावनी
15	मो० रीना देवी पति-रवीन्द्र सिंह	नरोत्तमपुर	37	67	रास्ता	0.0088	पक्का मकान
16	विन्देश्वरी मंडल पति-नीम मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0344	खेत
17	अनंत कुमार अरुण पिता-स्व० श्रीकांत मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.774	खेत
18	गोशंकर पिता-द्वारिका मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0550	खेत
19	सुरेन्द्र मंडल पिता-स्व० धर्मपाल मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0189	खेत
20	सदीप कुमार सिंह पिता-रामलाल सिंह	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0243	खेत
21	मो० रीना देवी पति-स्व० रविन्द्र मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0464	खेत
22	उपेन्द्र मेहता पिता-स्व० लखी मेहता	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.1239	खेत
23	मनोहर प्रसाद सिंह पिता-तारणी मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.1641	खेत



Handwritten signature or mark.

(3)

24	जयकांत मंडल पिता-स्व० गरीबन मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0010	पक्का दिवाल
25	प्रगोल सिंह पिता-स्व० भूदेव सिंह	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0010	पक्का दिवाल, शौचालय
26	बलिकांत सिंह पिता-स्व० सुंदर मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0008	पक्का दिवाल
27	दिपनारायण सिंह पिता-स्व० राजेन्द्र सिंह	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0100	खेत
28	कृष्णानंद पिता-स्व० लखन मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0235	खेत, पक्का दिवाल
29	सरयू प्रसाद सिंह पिता-स्व० बोनी मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0330	झोपड़ी, नाद, शौचालय
30	गूलदन सिंह पिता-स्व० नंदकिशोर मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0224	खपरेल मकान, शौचालय
31	बबलू कुमार पिता-स्व० क्षत्रिय मंडल	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0103	खेत खुटा, शौचालय
32	लूचू ठाकुर पिता-गंगा ठाकुर	नरोत्तमपुर	37	162	परती कदीम	0.0286	मिदटी दिवाल, झोपड़ी
33	छोटेलाल मंडल पिता-स्व० किरान मंडल	नरोत्तमपुर	37	412	रास्ता	0.0007	सिद्धी
34	रान वृक्ष साह वो बिरेन्द्र साह पिता-स्व० रामेश्वर साह	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0786	खेत
25	सुरेश मंडल पिता-स्व० सुंदर मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0789	खेत
36	नागेश्वर मंडल पिता-स्व० सुंदर मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0987	खेत
27	विन्देश्वरी मंडल पिता-स्व० भीम मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0803	खेत
38	चंद्रेश्वरी मंडल पिता-स्व० भीम मंडल	नरोत्तमपुर	37	208	परती कदीम	0.0803	खेत
39	विलास मंडल पिता-गंगा मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.1136	पक्का मकान, झोपड़ी



40	नरेश मंडल पिता-स्व० गंगा मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0844	खेत
41	कलमल मंडल पिता-स्व० गंगा मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.1285	खेत
42	अरुण मंडल पिता-स्व० रामनारायण मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0025	खेत
43	मनोहर मंडल पिता-रामनारायण मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0025	खेत
44	पुरुषोत्तम सिंह पिता-श्यामलाल मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0038	खेत
45	उमेश प्रसाद सिंह पिता-स्व० वशिष्ठ सिंह	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0045	खेत
46	मनोहर सिंह पिता-महावीर सिंह	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0353	खेत
47	विजय मंडल पिता-स्व० महावीर मंडल	नरोत्तमपुर	37	286	परती कदीम	0.0413	खेत
48	भोला मंडल पिता-चंद्र मंडल	नरोत्तमपुर	37	206	परती कदीम	0.0266	खेत


अतः अतिक्रमणकारियों को झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रपत्र 1 में 15 दिनों का समय देते हुए कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 20-01-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

01.23 अभिलेख उपस्थापित। अतिक्रमणकारी शियाराम मंडल पिता-स्व० हागरु मंडल, सन्तलाल महलदार पिता-स्व० मुन्नीलाल, गोपाल महलदार पिता-स्व० जगदीश महलदार, विन्देश्वरी मंडल पिता-भोम मंडल, जयकांत मंडल पिता-स्व० गरीबन मंडल, सुरेश मंडल पिता-स्व० सुन्दर मंडल, नागेश्वर मंडल पिता-स्व० सुन्दर मंडल, चन्देश्वरी मंडल पिता-स्व० भीम मंडल, नरेश मंडल पिता-स्व० गंगा मंडल को छोड़कर शेष सभी अतिक्रमणकारी लिखित आवेदन दिया गया। अभिलेख दिनांक 01.02.2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

02.23 अभिलेख उपस्थापित। किसी भी अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अपने दावे से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा-6 (1) (e) के तहत अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित भूमि दिनांक



20.02.2023 तक खाली करने हेतु आदेश पारित किया जाता है। अतिक्रमणकारियों को दिनांक 20.02.2023 तक अतिक्रमिता भूमि खाली करने हेतु नोटिस निर्गत करें।

[Signature] 20/02/2023
अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। अभिलेख दिनांक 02.03.2023 को रखें।

[Signature] 20/02/2023
अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। अतिक्रमणकारी सुरेश मंडल पिता-स्व0 सुन्दर मंडल, चन्देश्वरी प्रसाद मंडल पिता-स्व0 भीम मंडल, विन्देश्वरी मंडल पिता-स्व0 श्रीम मंडल, नागेश्वर प्रसाद मंडल पिता-स्व0 सुन्दर मंडल द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन दिया गया है। इनके द्वारा जमीन पर अपने दावे से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा-6 (1) (E) के तहत अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमिता भूमि खाली करने हेतु दिनांक 01.02.2023 को आदेश पारित किया गया है। अतः इनके आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। अभिलेख दिनांक 15.03.2023 को रखें।

[Signature] 21/03/2023
अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख उपस्थापित। अप्रोहस्ताक्षरी के व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक 21.04.23 को रखें।

[Signature] 21/03/2023
अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख उपस्थापित। अतिक्रमिता भूमि को दिनांक 26.04.2023 को खाली कराने हेतु श्री सुश्रूत आनन्द, कनीय अभियन्ता, मनरगा, प्रखंड, महागामा को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने तथा सशस्त्र बल एवं महिला बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को पत्राचार करें।

[Signature] 21/04/2023
अंचल अधिकारी,
महागामा।



(6)

-04-2023

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मसो0 रीना देवी पति रविन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 25.04.2023 को स्थल पर आवेदन दिया गया कि इनके द्वारा अतिक्रमणित भूमि को खाली कराने पर इनका पक्का मकान गिर जायेगा। इनके द्वारा सात दिनों के अन्दर अतिक्रमण खाली करने का आश्वासन के साथ सात दिनांक के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु समय प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया है। इनके मकान के अवलोकन करने पर पाया कि इनके मकान का आंशिक भाग अतिक्रमणित भूमि पर है। मकान पिलर पर बना हुआ है। JCB से मकान तोड़ने पर पूरा मकान ध्वस्त हो जायेगा।

अतः मसो0 रीना को अतिक्रमण हटाने हेतु सात दिन का समय दिया जाता है।

अतिक्रमणकारी गुलटन सिंह पिता-स्व0 नन्द किशोर सिंह द्वारा दिनांक 25.04.2023 को स्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के Patta Confirmation Case No-144/1939-40 के Order Sheet की प्रति, कानूनगो रिपोर्ट, मट्टा एवं हुक्मनामा की छायाप्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया।

गुलटन सिंह के द्वारा समर्पित दस्तावेज के सत्यापन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, गोड्डा को पत्र भेजे।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

9/05/2023

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से इस आशय का प्रतिवेदन का मांग करें की मसो0 रीना पति-रविन्द्र सिंह द्वारा अतिक्रमण खाली की किया गया है अथवा नहीं।

अंचल अधिकारी,
महागामा।




1/2023
 अभिलेख उपस्थापित। पत्तारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, गोड्डा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-24/अभि०, दिनांक 17.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि In the Court of Sub-Divisional Officer, Godda के Patta Confirmation Case No-144/1939-40 से संबंधित मूल अभिलेख की खोजबीन जिला अभिलेखागार के यथास्थानों पर किया गया परन्तु मूल अभिलेख नहीं मिलने के फलस्वरूप चारताविक का प्रतिवेदन गंजना संबंध प्रतीत नहीं होता है। अतः श्री गुलटन सिंह द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन जिला अभिलेखागार, गोड्डा से नहीं हो पाने के कारण श्री सिंह द्वारा समर्पित कागजात वैध प्रतीत नहीं होता है।



 अंचल अधिकारी,
 महागामा।

1/10/2023
 अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मसो० रीना देवी पति-रविन्द्र सिंह द्वारा अतिक्रमित भूमि का खाली नहीं किया गया है।

अतः मसो० रीना देवी पति-रविन्द्र सिंह एवं गुलटन सिंह पति-स्व० नन्दकिशोर सिंह सा०-नरोत्तमपुर को अतिक्रमण हटाने हेतु पुनः नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 11.11.2023 को रखें।


 लेखापित
 अंचल अधिकारी,
 26/10/2023


 अंचल अधिकारी,
 महागामा।



तिथि: 01-09-2022

सेवा में श्रीमान,

1. Deputy Commissioner Godda

2. Divisional Commissioner S.P. Division Dumka

विषय: दिव्यांग व्यक्ति को अनुमंडल कार्यालय महगामा द्वारा भवन तक पहुंच में बाधा/अवरोध उत्पन्न करने के सम्बन्ध में शिकायत।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि, मैं अमित कुमार मित वर्ष, पिता-श्री विन्देशवरी मंडल, ग्राम-नरोतमपुर, पोस्ट-विश्वासखानी, थाना-हनवार, जिला-गोड्डा के स्थायी निवासी हूँ।

यह कि आवेदक भारत का नागरिक है और समस्त विधि का पालन करने वाला व्यक्ति है।

यह कि, शिकायतकर्ता एक दिव्यांग अधिकारी और दिल्ली में स्थायी तौर पर 26 वर्षों से निवास करते हैं।

यह कि, शिकायतकर्ता 10-08-2022 को विश्वासखानी पंचायत में हुये पूर्व मुखिया कंचनमाला और उसके पति अवदेश कुमार सिंह द्वारा 14वे वित्त आयोग और बालू घाट निधि कोष के घुसपैठ के बारे में शिकायत को लेकर अनुमंडल अधिकारी से महगामा मिलने गया था।

यह कि शिकायतकर्ता को लगभग आधा घंटा पहली मंजिल पर ही एसडीओ सौरव कुमार भुवानिया के द्वारा इंतजार करवाया गया।

यह कि, भवन के भूतल से पहली मंजिल तक पहुंच में असुगमता के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा एवं मदद मांगने पर मेरे (मुंसी) रंजीत कुमार सिंह एवं मेरे पंचायत के एक व्यक्ति अमरेंद्र कुमार भगत के सामने मेरे साथ महगामा एसडीओ सौरव कुमार भुवानिया और एजाज़ आलम द्वारा मेरे दिव्यांगता और सुगम भारत अभियान का मज़ाक उड़ाया गया।

यह, कि, शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 44, 45 एवं 46 के अंतर्गत क्रमशः परिवहन, सड़क और निर्मित वातावरण में स्पष्ट तौर पर भेदभाव का प्रावधान किया गया है। (ध्यातव्य है कि विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016; विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का संशोधित रूप है।)

महोदय, मुझे यह कहा गया की ज्यादा कानून मत सिखाओ हमको नहीं तो हम तुम्हें ऐसा कानून बताएंगे की जिंदगी भर होश नहीं कर पाओगे उसके बाद जब मैंने विश्वासखानी पंचायत की पूर्व मुखिया कंचनमाला और उसके पति अवदेश कुमार सिंह द्वारा 14वे वित्त आयोग और बालू घाट निधि कोष के



धष्टाचार के बारे में निर्णायक साबुत के साथ फ़र्ज़ी बिल व अन्य दस्तावेज़ दिखाने का प्रयास किया तो शिकायत दर्ज करने से मना किया और कहा की आप एक हफ्ते बाद आना फिर देखते हैं।

महोदय, शिकायतकर्ता के वृद्ध माता काफी बीमार थी जिसकी वजह से 14-08-2022 को शिकायतकर्ता अपनी वृद्ध माता जी के इलाज़ हेतु दिल्ली आ गया।

दिनांक 24-08-2022 को शिकायतकर्ता को उत्प्रीडन की मंसा से पार्टी बनाकर पुस्तैनी घर नरोतमपुर पर यह जानते हुए की शिकायतकर्ता यहाँ निवास नहीं करता है एक जोटिस एसडीओ सीरव कुमार मुवानिया द्वारा भिजवाया गया और 25-08-2022 सुनवाई की तिथि राखी गयी।

यह कि, अनुमंडल कार्यालय महगामा में मुकदमे का दस्तावेज़ पक्षकारों को और अन्य व्यक्तियों को अवैध तरीके से मुहैया कराया जाता है और भेदभाव एवं पक्षपात भी किया जाता है जिसकी जाँच देशहित के लिए अति आवश्यक है।

प्रार्थना :

महोदय, शिकायतकर्ता अपने वृद्ध माता पिता का अकेला देखभाल और भरणपोषण करनेवाला व्यक्ति है। महोदय, उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कार्यवाही एवं पीडित पक्षकार को प्राकृतिक न्याय दिलाया जाय।

विश्वासभाजन

अमित कुमार मित


अमित कुमार मित

पिता-श्री विन्देशवरी मंडल

ग्राम-नरोतमपुर, पोस्ट-विश्वासखानी

थाना-हनवारा, जिला-गोहृहा-814155

PH#9350510893



REGISTERED POST / E-mail / WhatsApp

सेवा में, श्रीमान,

1. थाना प्रभारी, हनवारा
2. पुलिस उपाधीक्षक, महगामा
3. पुलिस अधीक्षक, गोड्डा
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुमका
5. पुलिस महानिदेशक, रांची

विषय : दिव्यांग अधिवक्ता व उनके वरिष्ठ माता पिता को कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज़ आलम और अनुमंडल अधिकारी सौरव कुमार भुवानिया (आईएस) महगामा, व अन्य व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक षड़यंत्र, जालसाजी कर झूठे मुकदमें कर प्रताड़ित करने के खिलाफ शिकायत।

महोदया,

उपरोक्त विषय के बारे में यही कहना है कि, मैं अमित कुमार मित, s/o श्री बिंदेश्वरी मंडल उम्र -42 वर्ष, ग्राम - नरोत्तमपुर, पोस्ट -विश्वासखानी जिला गोड्डा, झारखण्ड के मूल निवासी है।

यह कि, आवेदक के पिता द्वारा विश्वासखानी पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018 - 19 कथित LED घोटाले के विरुद्ध हनवारा थाना में कांड संख्या 55-2021 प्रथिमिकी दर्ज कराया गया है जिसका अन्वेषण जारी है और अन्य योजनाओं के घोटाले के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायलय झारखण्ड में आवेदक अमित कुमार मित द्वारा उच्चस्तरीय ACB, C.B.I. जांच हेतु आपराधिक याचिका (W.P.(Cr.)/156/2022) प्रतिवादीगण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायलय झारखण्ड में लंबित है और झारखण्ड राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा भी दायर करने को कहा गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज़ आलम और अनुमंडल अधिकारी सौरव कुमार भुवानिया (आईएस) और अन्य अधिकारी के द्वारा आवेदक और आवेदक के वृद्ध माता पिता पर मुकदमा वापस लेने के लिए फर्जी मुकदमें में फसाकर दबाव बनाना चाह रहे है। (छाया प्रतिलिपि संलग्न)


महोदय, / महोदया,

अनुमंडल अधिकारी महगामा द्वारा दिव्यांग अधिवक्ता व उनके वरिष्ठ माता पिता को प्रताड़ित करने के मंसा से अवैध कब्जे से सम्बंधित भेजे गए पहला नोटिस 24-08-2022 को मेरे मूल निवास पैतृक आवास नरोत्तमपुर में प्राप्त हुआ और सुनवाई कि तिथि : 25 - 08 - 2022 को रखा गया उस तिथि को मैं अपनी माता जी का इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स, AIIMS) में करवा रहा था वावजूद इसके मैंने नोटिस का जबाब अपने ही गांव के मेरे अधिकृत व्यक्ति (कलर्क) श्री रंजीत कुमार सिंह सिंह, पिता - श्री धनञ्जय मंडल, उम्र 36 वर्ष के द्वारा सुनवाई के दिन, 25-08-2022 को तथा what, s app / e-mail के द्वारा भी अनुमंडल अधिकारी महगामा को भेज दिया था।

(छाया प्रतिलिपि संलग्न)

अनुमंडल अधिकारी महगामा द्वारा आवेदक व उनके वरिष्ठ माता पिता को प्रताड़ित करने के मनसा से अवैध कब्जे से सम्बंधित दूसरा नोटिस 07-09-2022 को मेरे मूल निवास नरोत्तमपुर में प्राप्त हुआ और सुनवाई कि तिथि : 09-09-2022 को रखा गया (छाया प्रतिलिपि संलग्न)

यह कि, अनुमंडल अधिकारी महगामा द्वारा दिव्यांग अधिवक्ता व उनके वरिष्ठ माता पिता को प्रताड़ित करने के मंसा से अवैध कब्जे से सम्बंधित तीसरा नोटिस 12-12-2022 को मेरे मूल निवास पैतृक आवास नरोत्तमपुर में प्राप्त हुआ और सुनवाई कि तिथि : 13-12-2022 को रखा गया। (छाया प्रतिलिपि संलग्न)



(Handwritten Signature)



महोदय, अब उपरोक्त अवैध कब्जे से सम्बंधित भूमि कि जाँच के बाद आवेदक वरिष्ठ पिता को को प्रताड़ित करने के मंसा से अंचल अधिकारी महगामा द्वारा 20-01-2023 को सुनवाई हेतु बुलाया गया है (छाया प्रतिलिपि संलग्न)

यह कि, आवेदक को आरोपी बनाकर आवेदक के ही गाँव के तीन अनुसूचित जाति व्यक्तियों के नाम से आपराधिक आपराधिक षड्यंत्र रचकर अनुमंडल अधिकारी महगामा को झूठी शिकायत देकर **अनुसूचित जाति को जान से मारने तथा सरकारी नल से पानी लेने या जाति सुचक गाली गलौज** करने का मनघड़ंत आरोप लगाकर दिव्यांग अधिवक्ता को 10-01-2023 को अनुमंडल अधिकारी महगामा द्वारा आवेदक को प्रताड़ित करने के मंसा से अनुमंडल कार्यालय बुलाया गया। (छाया प्रतिलिपि संलग्न)

यह कि, विगत वर्ष से नरोत्तमपुर गाँव के कुछ दबंगों द्वारा आवेदक के पुस्तैनी कृषि योग्य भूमि को हड़पने की मंसा से आवेदक के माता पिता को परेशान किया जा रहा है।

यह कि, अनुमंडल अधिकारी महगामा द्वारा उच्च नैतिक मानकों, अखंडता और ईमानदारी को बनाए रखना, राजनीतिक तटस्थता; जवाबदेही और पारदर्शिता; जनता के प्रति जवाबदेही, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के प्रति; जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे है।

यह कि, अनुमंडल अधिकारी महगामा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, गैर-पक्षपात, निष्पक्षता, सहानुभूति, करुणा, हितों के टकराव आदि जैसे मूल्यों का पालन नहीं कर रहे है।

प्रार्थना :

महोदय, उपरोक्त लोक सेवक के कृत्य से आवेदक को काफी मानसिक आघात पहुंचा है। शिकायतकर्ता अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता का एकमात्र देखभाल करने वाला और भरण-पोषण करने वाला व्यक्ति है, कृपया उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत उचित कार्रवाई करें।

भवदीय,

अमित कुमार मित

Amit Kumar
18/1/2023

अमित कुमार मित

S/o श्री विन्देश्वरी मंडल

ग्राम - नरोत्तमपुर

थाना -हनवारा

जिला -गोड्डा - 814155

